आर.एन.आई. नं. RAJHIN (2003) 8976
Postal Reg. No. *JaipurCity/203/2017-19*

निर्भीक निडर निष्पक्ष

पाक्षिक

न्यायिक ज्वाला

''न्याय करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है'' ''यदि कहीं भी अन्याय है तो वह न्याय के लिए खतरा है''

वर्ष 14 अंक 17 *संस्थापक : स्व. दुर्गाप्रसाद शर्मा* जयपुर, 10 सितम्बर, 2017 पृष्ठ-8 मूल्य : 5 रु. Website: www.nyayikjwala.org.

निजता को सुप्रीम कोर्ट ने माना मौलिक अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने देश के प्रत्येक नागरिक को प्रभावित करने वाले अपने ऐतिहासिक फैसले में निजता के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया। प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाले नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसले में कहा कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पूरे भाग का स्वाभाविक अंग है। पीठ के सभी नौ सदस्यों ने एक स्वर में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर आया यह फैसला विभिन्न जन-कल्याण कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आधार कार्ड को अनिवार्य करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ा हुआ है। कुछ याचिकाओं में कहा गया था कि आधार को अनिवार्य बनाना उनकी निजता के अधिकार का हनन है।

संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति जे.चेलामेश्वर, न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन, न्यायमूर्ति ए.एम. सप्रे, न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर हैं। इन सभी ने समान विचार व्यक्त किए। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाले नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने इस सवाल पर तीन सप्ताह के दौरान करीब छह दिन तक सुनवाई की थी। क्या निजता के अधिकार को संविधान में प्रदत्त एक मौलिक अधिकार माना जा सकता है। यह सुनवाई 2 अगस्त को पूरी हुई थी।

सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील अरविंद दातार, कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमणियम, श्याम दीवान, आनंद ग्रोवर, सी.ए. सुंदरम और राकेश द्विवेदी ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने या नहीं किए जाने के बारे में दलीलें दीं और अनेक न्यायिक व्यवस्थाओं का हवाला दिया। निजता के अधिकार का मुद्दा केन्द्र सरकार की तमाम समाज कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य करने संबंधी केन्द्र सरकार के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उठा था। तब तीन जजों की खंडपीठ ने सात जुलाई को कहा था कि आधार से जुड़े सारे मुद्दों पर वृहद पीठ को ही निर्णय करना चाहिए और प्रधान न्यायाधीश इस संबंध में संविधान पीठ गठित करने के लिए कदम उठाएंगे। प्रधान न्यायाधीश के समक्ष इसका उल्लेख किया गया तो उन्होंने इस मामले में सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ गठित की थी। हालांकि पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 18 जुलाई को कहा कि इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए नौ सदस्यीय संविधान पीठ विचार करेगा। संविधान पीठ के समक्ष विचारणीय सवाल था कि क्या निजता के अधिकार को संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया जा सकता है।

न्यायालय ने शीर्ष अदालत के छह और आठ सदस्यीय पीठ द्वारा क्रमश: खड़ग सिंह और और एम.पी. शर्मा प्रकरण में दी गई व्यवस्थाओं के सही होने की विवेचना के लिए नौ सदस्यीय संविधान पीठ गठित करने का निर्णय किया था। इन फैसलों में कहा गया था कि यह मौलिक अधिकार नहीं है। खड़ग सिंह प्रकरण में अदालत ने 1960 में और एम.पी. शर्मा प्रकरण में 1950 में फैसला सुनाया था। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने दो अगस्त को फैसला सुरक्षित रखते हुए सार्वजनिक दायरे में आई निजी सूचना के संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि मौजूदा प्रौद्योगिकी के दौर में निजता के संरक्षण की अवधारणा एक हारी हुई लड़ाई है।

इससे पहले, 19 जुलाई को सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की थी कि निजता का अधिकार मुकम्मल नहीं हो सकता और सरकार के पास इस पर उचित प्रतिबंध लगाने के कुछ अधिकार हो सकते हैं। अटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने दलील दी थी कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकारों के दायरे में नहीं आ सकता क्योंकि वृहद् पीठ के फैसले हैं कि यह सिर्फ न्यायिक व्यवस्थाओं के माध्यम से विकसित सामान्य कानूनी अधिकार है। केन्द्र ने भी निजता को अनिश्चित और अविकसित अधिकार बताया था।

जन्मजात है निजता का अधिकार : न्यायमूर्ति सप्रे

सुप्रीम कोर्ट के नौ सदस्यीय संविधान पीठ के न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने अपना अलग फैसला लिखा। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि निजता का अधिकार मनुष्य के जन्म के साथ ही आता है और उसके साथ ही खत्म हो जाता है। उनका यह निर्णय संविधान पीठ के 547 पेज के फैसले का हिस्सा है। निजता उन वांछित अधिकारों में से एक है जिसे मानव जगत में प्रत्येक सभ्य समाज मान्यता देता है। इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कोई व्यक्ति ऐसे अधिकार के बगैर गरिमा के साथ सार्थक जीवन का आनंद ले रहा है। निजता का अधिकार संविधान के खंड तीन में नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों का हिस्सा है परन्तु यह पूर्ण नहीं है और यह कुछ पाबंदियों के दायरे में आता है। जिन्हें सरकार को सामाजिक, नैतिक और बाध्यकारी जनहित में कानून के अनुरूप लगाने का अधिकार है। न्यायमूर्ति सप्रे ने 24 पेज के अपने अलग लिखे फैसले में कहा- मेरी सुविचारित राय में किसी भी व्यक्ति का निजता का अधिकार मूल रूप से स्वाभाविक अधिकार है जो प्रत्येक मनुष्य में जन्म के साथ आता है। ऐसा अधिकार मनुष्य की अंतिम सांस तक उसके साथ रहता है। निश्चित ही इसे न तो मनुष्य से अलग किया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है।

स्वतंत्रता को सुरक्षा देती है निजता : चन्द्रचूड़

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अपनी और तीन अन्य न्यायाधीशों की ओर से लिखे फैसले में कहा कि निजता एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को

(शेष पृष्ठ चार पर)

अब समलैंगिकता, गर्भपात व इच्छामृत्यु पर पुनर्विचार होगा

एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही उस फैसले को रद् कर दिया जिसके द्वारा उसने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 2009 में दिये गये निर्णय को पलटा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को अवैध ठहराते हुए सहमतिपूर्ण समलैंगिकता को अपराध नहीं माना था।

मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, जस्टिस आर.के. अग्रवाल तथा अब्दुल नजीर एवं स्वयं की ओर से लिखते हुए जस्टिस डी.वाई. चन्द्रचूड़ ने लिखा कि प्राइवेसी का अधिकार द्वारा 377 के संदर्भ में भी वैद्य है। धारा 377 ऐसा कानून है जो उस कृत्य को अपराध बनाता है जिसे एक समय अप्राकृतिक कृत्य समझा जाता था। उन्होंने पुष्ट किया कि यदि जनसंख्या का एक सूक्ष्म भाग प्रभावित होता हो तो भी प्राइवेसी के अधिकार से इंकार नहीं किया जा सकता। प्राइवेसी के सिद्धान्त को विस्तार से बताते हुए उन्होंने लिखा, ''प्राइवेसी का निजी प्रगाढ़ संबंध, वैवाहिक जीवन की पवित्रता, विवाह, संतोनोत्तत्ति, परिवार तथ्या यौन अवस्थिति को स्वयं में शामिल करता है.... प्राइवेसी का अर्थ अकेला छोड़ दिये जाने का अधिकार भी है।''

धारा 377 के अलावा प्राइवेसी के अधिकार का इच्छा मृत्यु से लेकर गर्भपात तक चल रहे विवाद पर भी दूरगामी प्रभाव होगा।

इस पर जस्टिस चेलमेश्वर ने भी अलग से ऐसा ही निर्णय दिया है। उन्होंने लिखा है कि, ''जीवन को बढ़ाने वाले चिकित्सकीय उपचार से इंकार करने या अपने जीवन को समाप्त करने का एक व्यक्ति का अधिकार एक अन्य स्वतंत्रता है जो प्राइवेसी के अधिकार के दायरे में आती है।''

जस्टिस चन्द्रचूड़ ने विस्तार से समझाया कि सुप्रीम कोर्ट के 2013 का आईपीसी की धारा 377 को परिपुष्ट करने वाला निर्णय ''कानून में खराब'' क्यों है।

यह स्पष्ट करते हुए कि प्राइवेसी व्यक्ति के भिन्न होने के अधिकार की तथा एकांतता का क्षेत्र सृजित करने में स्थापित व्यवहार की पालना के विरुद्ध खड़े होने के नाते अंतर्भूत स्वीकार्यता है, उन्होंने लिखा, ''प्राइवेसी एक व्यक्ति को ऐसे मामलों में जनता की खोजी निगाहों से बचाती है जो उसके जीवन के लिए व्यक्तिगत होते हैं। निजता व्यक्ति से जुड़ती है न कि उस स्थान से जिससे वह जुड़ा होता है।''

जस्टिस चन्द्रचूड़ ने आगे कहा, ''यौन संबंधी पसंद प्राइवेसी का एक आवश्यक भाग है। समानता की मांग है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के यौन संबंधी पसंद को एक समान मंच देते हुए संरक्षित किया जाए। प्राइवेसी का अधिकार तथा यौन अभिविन्यास संविधान के अनुच्छेद 14, 15 तथा 21 द्वारा दिये गये मौलिक अधिकारों के केन्द्र में अवस्थित हैं।''

यह कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 377 पर 2013 में दिया गया निर्णय कानून में खराब है उन्होंने लिखा कि ''इस अधिकार को काम लेने पर डराने वाला व्यवहार प्राइवेसी एवं सम्मान के तत्व के रूप में एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास की निर्बाध पूर्ति के लिये गंभीर खतरा पैदा करता है। यह डराने वाला असर व्यक्ति के सामाजिक निंदा वाला असर व्यक्ति के सामाजिक निंदा या अस्वीकृति का पात्र बनने के कारण है जैसा कि अपराध के दंड से नजर आता है।'' धारा 377 के लोगों की निजता के अधिकार का हनन करने वाली होने के आधार पर प्रस्तुत याचिका अभी भी लंबित है किन्तु समलैंगिक (गे) तथा लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल कम्यूनिटी (एलजीबीटी) अब आये प्राइवेसी संबंधी फैसले के आधार पर अपने पक्ष में निर्णय होने की आशा कर सकती है।

सम्पादकीय ....

अपराधियों के राजनीतिकरण पर बैन

दागी सांसदों और विधायकों, कार्यपालिका और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के खिलाफ आपराधिक मामलों का निपटारा जल्द करने और एक बार दोषी होने पर उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पांच सदस्यीय बेंच गठित करने पर सहमत हो गया है।

पिछले 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामलों का निपटारा तेजी से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि छह महीने में मामले निपटाने चाहिए।

अधिवक्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय ने याचिका दायर कर मांग की थी कि एक साल के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के खिलाफ आपराधिक मामलों का निपटारा हो और एक बार दोषी होने पर उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने मांग की थी कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने, राजनीतिक दल का गठन करने और पदाधिकारी बनने पर रोक लगाई जाए। याचिका में ये भी मांग की गई थी कि चुनाव आयोग, विधि आयोग और नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कांस्टीट्यूशन द्वारा सुझाए गए महत्वपूर्ण चुनाव सुधारों को लागू करवाने का निर्देश केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग को दिया जाए। याचिका में ये भी मांग की गई कि विधायिका की सदस्यता के लिए न्यूनतम योग्यता और अधिकतम आयुसीमा तय की जाए।

देर आये, दुरस्त आये, आखिरकार देश की सर्वोच्च अदालत ने कठोर कदम उठाने की ठान ली है। विडम्बना यह है कि देश की संसद में सैंकड़ों सांसदों पर आपराधिक मुकदमे लम्बित हैं और कुछ पर तो गंभीर अपराधों के मामले भी चल रहे हैं। इसके अलावा इन आपराधिक पृष्ठभूमि के सांसद मंत्री तक बना दिये गये हैं। राज्यों की विधानसभाओं में भी आपराधिक छवि के विधायकों की संख्या 4000 से अधिक है और इनमें भी काफी विधायक मंत्री पद प्राप्त किये हुए हैं। एक ओर साधारण से अपराध के आरोपी को सरकार में चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती है वहीं संगीन अपराध के आरोपी मंत्री पद पर पहुंच जाना कानून व संविधान का मखौल उड़ाना ही है।

राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति भी अपनी विदेश यात्राओं में मीडिया को साथ नहीं ले जायेंगे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम. वैंकय्या नायडू ने भी घरेलू और विदेशी यात्रा के दौरान किसी भी मीडिया टीम को साथ न रखने की उनकी नीति का अपना लिया है।

विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों में भी किसी भी विदेश यात्रा में हवाई जहाज भरके पत्रकार साथ ले जाने की परम्परा रही है और भारत में भी स्वतंत्रता के समय से ही मीडिया टीम इन अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ जाती रही हैं।

एक अधिकारी ने कहा कि इन अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की विदेश यात्रा की मीडिया कवरेज कोई प्रतिबंध नहीं है किन्तु अब मीडिया को स्वयं यात्रा करन होगी। न कि उस प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ जाता है। उनके साथ केवल पीआईबी के अधिकारी तथा राज्य द्वारा संचालित दूरदर्शन का दल जाएगा।

अधिकारी ने कहा कि इलैक्ट्रोनिक मीडिया इन अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ गये दूरदर्शन के दल से वीडियो कवरेज ले सकता है जबकि उनके साथ गये पीआईबी अधिकारी प्रिंट तथा अन्य मीडिया को सूचना उपलब्ध करायेंगे।

राष्ट्रपति कोविंद तो एक कदम आगे बढ़ गये। उन्होंने विपक्ष के नेताओं जैसे मुलाकातियों द्वारा उनसे मुलाकात के बाद राष्ट्रपति भवन के परिसर में मीडिया को जानकारी देने की प्रथा बंद कर दी है।

नई प्रथा गुरुवार से लागू हुई जब टीवी चैनलों के पत्रकारों का राष्ट्रपति भवन में प्रवेश रोक दिया गया तथा बताया गया कि तमिलनाडु के कार्यवाहक राज्यपाल सी विद्यासागर राव के विरुद्ध शिकायत करने के लिये राष्ट्रपति से मुलाकात करने आया कांग्रेस, डीएमके तथा वाम दलों का प्रतिनिधिमंडल उन्हें विजय चौक पर जानकारी दे सकता है, जहां अधिकांश टीवी चैनलों ने अपनी ओ बी वैन खड़ी कर रखी है।

भारतीय पुलिस संस्कृति में भ्रष्टाचार की जड़ें

(गतांक का शेष)

परिणामस्वरूप मामले को न्यायालय में भेजने का निर्णय पुलिस अधिकारी नियंत्रित करते आ रहे हैं। आई पी एस की हैसियत अभियोजक से बहुत ऊपर होती है। इस प्रकार अभियोजक अधीक्षक के निर्णय की आलोचना करने की स्थिति में नहीं होते हैं। (भारत सरकार 1980) जिसका अंतिम परिणाम यह होता है कि पुलिस के पास बकाया में कमी करने के लिए अपर्याप्त साक्ष्यों के आधार भी मामले न्यायालय में अन्वीक्षा हेतु भेजे जाते रहते हैं और सिर्फ 6.02 प्रतिशत मामलों में दोष सिद्धि हो पाती हैं। (राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो 1998-222) पुलिस विभाग की संस्कृति में ऐसी कोई परम्परा नहीं है जिससे अनुसंधान अधिकारी के द्वारा अनुसंधान किये गए, निपटाए गए और अभियोजन किये गए मामलों के निष्पादन का मूल्याङ्कन किया जा सके। वे यह बहाना गढ़ते हैं कि रिकार्ड के मैन्युअल रख रखाव के कारण ऐसा संभव नहीं है जबकि बैंक, बीमा आदि संस्थानों में मैन्युअल रिकार्ड के होते भी ऐसा किया जाता रहा है। इन अस्वस्थ परमपराओं के चलते थाना प्रभारी अत्यंत शक्तिशाली हो गए हैं और अधिकांश अधीक्षक उनके कृत्यों पर नियंत्रण रखने में अपने आपको असहाय पाते हैं। इस बात में आश्चर्य नहीं है कि जो लोग अपने परिवाद पर कार्यवाही चाहते हैं वे अनुसन्धान अधिकारी के बारबार चक्कर लगाते रहते हैं। संगठनात्मक परिवर्तन और जिम्मेदारी के अभाव में अनुसन्धान अधिकारियों में भ्रष्टाचार फलतापूलता रहता है। अनुसंधान में रिश्वत के अतिरिक्त भारतीय पुलिस बदनाम वसूली करनेवाले हैं। झूठा और बेबुनियाद आपराधिक मामला बनाने व मात्र संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति से वे व्यापारियों से धन वसूलते हैं।

कुछ उदाहरणों से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है। वाहन चालकों से लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र जांच के बहाने भ्रष्ट परम्परा कुख्यात है। (सजीश 1997) दूसरी ओर किसी भी नागरिक के लिए न्यायालय जाने में समय और धन बर्बाद होने वाली प्रक्रिया के कारण वे पुलिस से टकराव से बचना चाहते हैं। इन सभी कारणों से अधिकांश नागरिक अपने वाहन बिना पंजीयन और उचित लाइसेंस के चलाकर रिश्वत के माध्यम से ही काम चलाना चाहते हैं। इस प्रकार वाहन चेकिंग की शक्ति से सडक पर वसूली का आकर्षक धंधा है और पुलिस वाले यह ड्यूटी बिना विश्राम किये रातदिन करने को सहमत होते हैं। सीमावर्ती चेक पोस्ट भ्रष्टाचार के अड्डे हैं जिसमें पुलिस की केन्द्रीय भूमिका होती है क्योंकि सीमा पार करने के सभी कार्य इन प्रवर्तन अधिकारीयों के द्वारा संपन्न होते हैं। (सजीश 1997) ट्राफिक विभाग पुलिस अधिकारियों के लिए एक वरदान वाली पद स्थापना है और रिश्वत या संरक्षण वाले अधिकारी ही इस विभाग में स्थान पाते हैं।

थाना प्रभारी सहित अधीनस्थ अधिकारियों के स्थानातरण अधीक्षक एवं उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा नियंत्रित होते हैं इसलिए अपने विश्वास पात्र और स्वमीभक्तों को वसूली और हिस्सा के लिए मनचाहा पद देना आकर्षक कृत्य बन गया है। जिला पुलिस अधीक्षक को प्रदत्त अनुशासन की शक्तियों के कारण वे अपने अधीनस्थों को भयभीत कर उनके द्वारा की गयी वसूली में से हिस्सा प्राप्त करना सुकर बनाते हैं।

एक राज्य में पुलिस द्वारा औसतन 100 करोड़ का सामान खरीदा जाता है जिस पर बहुत कम प्रतिशत में कमीशन भी बहुत बड़ी रकम होता है। इन आई पी एस द्वारा अनावश्यक और अवैध खरीददारी करके विक्रेताओं पर उपकार किया जाता है जिसका उन्हें भी प्रतिफल अवश्य मिलता है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निजी निवास पर अनुमत से ज्यादा सिपाही अर्दली, बागवान, प्रहरी, चोकीदार, रसोइये आदि के रूप में कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। यह लाभ सिर्फ पुलिस अधिकारी ही नहीं अपितु उनके परिवार के सदस्य तथा रिश्तेदार भी उठाते हैं। केन्द्रीय अन्वेषण के ब्यूरो के निदेशक के यहाँ 100 तक ऐसे सेवादार देखे गए हैं जो उनके यहाँ धोबी तक का कार्य करते हैं यद्यपि ऐसी कोई शासकीय अनुमति नहीं होती है। न्यायाधीशों और मंत्रियों व प्रशानिक अधिकारियों की कृपा दृष्टि प्राप्त करते रहने के उद्देश्य से उन्हें भी यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाती रहती है। यह भी ब्रिटिश काल की सुस्थापित परम्परा है। ब्रिटश राज के महात्म्य में जनता को कोई प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं था और जनता पर आधिपत्य जमाने में पुलिस की अहम् भूमिका रही है। भारतीय ब्रिटिश पुलिस, शासक का बल अधिरोपित करने के लिए बनाया गया एक संगठन था जिसकी जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं थी। (दास व वर्मा 1998) इस बड़े देश पर शासन करने का उद्देश्य ऐसे पुलिस बल के माध्यम से संपन्न हुआ जिसका संचालन सस्ता, लोगों के लिए क्रूर और शोषणकारी था व नागरिकों के प्रति बिलकुल गैर जिम्मेदार था। (गुप्ता, 1979) साहेब और मेमसाहिबान बड़े बंगलों में रहते थे और उनकी प्रत्येक जरुरत के लिए उनके आगे पीछे नौकरों की फ़ौज, भोजन बनाने के लिए खानसामा और बच्चों की देखभाल के लिए आया रहती थीं। गर्मी और धूल से बचने के लिए गर्मी का समय पहाड़ी स्थानों पर गुजारते और सर्दी का मौसम महाराजाओं की तरह शिकार, क्रिकेट और मनोरंजन आदि में व्यतीत करते थे। चूँकि यह राज पुलिस प्रशासन की शक्ति और भय द्वारा स्थापित था इसलिए पुलिस संगठन के चरित्र में भी यही गुणधर्म परिलक्षित होना स्वाभाविक था। (वर्मा 1999) पुलिस तथा सेना के अधिकारी अपने आपको शासक वर्ग से समझें इसलिए उन्हें घुड़सवारी करवाई जाती थी और उनके रसोई घर के आगे भोजन समय पर मनोरंजन के लिए बैंड धुनें बजाई जाती थी। पुलिस व सेना में अलग से बैंड पार्टी भी भर्ती की जाती थी।

ब्रिटिश लोगों ने स्कूल और अस्पताल बहुत कम बनाए किन्तु पुलिस थाने और भवन बंगले जैसे थे जिनकी वास्तु कला विक्टोरिया शैली जैसी थी जिनकी छतें ऊँची होती थी जिससे गर्मी ऊपर ही रह जाती थी और चारों ओर चौड़े बरामदे होते थे जहां अधिकांश शासकीय कार्य संपन्न होता था। ज्यादातर

(शेष पृष्ठ तीन पर)

धर्म और राजनीति का गंदा खेल

वेद व्यास

- पिछले दिनों धर्म और आस्था के नाम पर हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा के बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह के अनुयायियों ने जो हिंसा तथा अराजकता फैलाई से अब ये एक बात फिर साबित हो चुकी है कि इस देश के इतिहास में आजादी के 70 साल बाद भी राजनीति और धर्म जाति का गठजोड़ हमारे लोकतंत्र और संविधान पर भारी पड़ रहा है। एक बलात्कारी बाबा के समर्थन में जिस तरह सरकारी संरक्षण से उपद्रव हुआ और प्रायोजित लाखों डेरा भक्तों ने कानून-व्यवस्था की होली जलाई उससे अब ये सोच भी उजागर हो चुका है कि भारत में आस्था के नाम पर आज भी सब कुछ हो सकता है। ये तो न्यायपालिका का साहस रहा जो 38 मौतों और सैंकड़ों घायल और हजारों गिरफ्तारियों के साथ पुलिस, अर्द्धसैनिक बल और सैनिक टुकड़ियों ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के आम नागरिकों को भी इज्जत बचा ली वरना और जाने आगे क्या होता?
- ये तो अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने अपने मासिक प्रवसन के 35वें सम्बोधन में हिंसा और अराजकता के बाद और मीडिया के धुंआधार प्रचार के दबाव में अपने मन की बात आखिरकार उजागर करी तथा कहा कि आस्था के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी और कानून तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति तथा समूह को माफ नहीं किया जायेगा। अन्यथा हरियाणा की सरकार तो अपने राजनैतिक लाभ के लिये डेरा सच्चा सौदा के आगे घुटने टेक चुकी थी।
- बहरहाल भगवान के दूत (मैजेन्जर ऑफ गॉड) बाबा राम रहीम अब 20 साल जेल की सजा पा चुके हैं और उनके लाखों भक्त रोते-बिलखते अपने घरों को लौट रहे हैं लेकिन आज सवाल ये है कि ऐसे बाबाओं का, साधु-संतों का, पुजारी-महंतों का और स्वामी-संन्यासियों का साम्राज्य निर्माण कैसे होता है और लोकतंत्र की चुनी हुई सभी सरकारें बारी-बारी से ऐसे अय्याश और अपराधी धर्मगुरुओं के चरणों में शीश क्यों झुकाती है? आस्था की राजनीति समझने के लिए बाबा राम रहीम, आसाराम बापू, संत रामपाल, रामवृक्ष यादव, स्वामी आशुतोष, स्वामी नित्यानंद, स्वामी परमानन्द, भीमानन्द महाराज, स्वामी ओमजी जैसे अनेक अपराधी बाबाओं की आस्था और रासलीलाओं की कहानियां अब रोज हमारे सामने आ रही हैं। सैंकड़ों टीवी चैनल, पत्र-पत्रिकाओं, फिल्मों और धर्म उपदेशों में रात-दिन देश की अंधविश्वासी तथा धर्मपरायण गरीब जनता मस्त और त्रस्त है लेकिन भय, भाग्य और भगवान के आगे किसी का जोर नहीं चलता। आप जानते हैं कि भारत में आजकल आस्था की राजनीति का स्वर्ण युग चल रहा है। तथा धर्म और जाति के संस्थान इस आस्था और अंध विश्वास के बहुराष्ट्रीय उद्योग को चला रहे हैं तथा इनकी विकास दर भारत जैसे गरीब, अशिक्षित तथा बीमार समाज में 100 प्रतिशत है।
- आप भारत के 6 लाख गांवों और प्रत्येक घर-परिवार में आज भी आस्था के अनेक देवी-देवता और संत-महात्माओं का पूजा-पाठ देख सकते हैं। बाबा राम रहीम गुरमीत सिंह के भक्त अधिकतर दलित और अल्पसंख्यक समाज से हैं और डेरा-आश्रम को ये अपना जीवन धर्म मानते हैं और इसलिए राम रहीम इनके भगवान हैं तथा अम्बेडकर, गांधी और दीनदयाल इन डेरावासियों के लिये कुछ नहीं हैं। मैं भारत को आस्था का स्वर्ण मानता हूं क्योंकि बाबा-स्वामियों की सत्ता यहां संविधान और सरकार से भी अधिक ताकतवर है।
- आश्चर्य ये है कि आस्था के ये सभी बाबा मठ, डेरे और आश्रम हमारी पुरानी मान्यता के अनुसार जर, जोरू और जमीन के भूखे-प्यासे हैं और ऐसे में लाखों धर्म गुरूओं की मौत इन्हीं तीनों पापों के घाटों पर होती है। आस्था के वृन्दावन में कबीरदास की माया- स्त्री, जमीन और भोग-विलास का ही दूसरा नाम है। आस्था के हमाम में अंधभक्तों और बाबाओं की दुर्गति इसलिए चुल्लूभर पानी में हो जाती है।
- हम अनेक बाबा, बापू, स्वामी, संतों और धर्मगुरुओं के विलाप को सुनकर ये ही कहना चाहते हैं कि किसी आस्था को लेकर अंधभक्त मत बनिये और आंख, नाक, कान खोलकर बाबाओं के लीलाओं और चमत्कारों से सवाल पूछिये। भीड़ और भक्त इसीलिये ठगे और मारे जाते हैं क्योंकि गुरु-बाबा आपकी आस्था की अंधी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मुझे याद है कि भिंडरवाले, रामपाल, आसाराम बापू जैसे सभी धर्मगुरुओं का भंडाफोड़ कानून, अदालत, न्यायाधीश, पुलिस और जागरूक मीडिया-पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ही किया है। बाबा राम रहीम को जेल की सलाखों के पीछे ले जाने तक उन दो अज्ञात महिलाओं, शहीद पत्रकार छत्रपाल और सीबीआई की ईमानदारी और न्यायपालिका की दृढ़ता से हमें ये सबक लेना चाहिए कि भ्रष्ट राजनेता और संत बाबाओं का माफिया राज कैसे साहस से नष्ट किया जा सकता है। अत: आस्था के नाम पर अपराधी-पापी धर्मात्माओं को जानिये।
- डेरा सच्चा सौदा के अपराधी बाबा राम रहीम की कहानी से एक बार फिर देश को पता चल गया है कि सत्य और न्याय से बड़ा कोई नहीं है। इससे राजनेता और धर्म संस्थान तथा बाबाओं की मिली-जुली आस्था की राजनीति का चेहरा बेनकाब हुआ है। भारत की गरीबी और बदहाली के लिये इसीलिये अंधी आस्था एक जहर है। आवश्यकता केवल ये जानने की है कि धर्म संस्थान और बाबाओं की शरण में सरकार किसलिये जाती है और अपराधियों को जेड श्रेणी की अभेद्य सुरक्षा देती है? बाबा लोग राजनीति को क्यों धन देते हैं तथा वोट देते हैं? और राजनेता इन्हें दलों में संरक्षण क्यों देते हैं? आस्था (धार्मिक) यदि नागरिक का बुनियादी अधिकार है तो कानून को भी अंधों की आंखें खोलने का अधिकार है। साक्षी महाराज का ये कहना कि एक न्यायाधीश से करोड़ों डेरा भक्तों की आस्था बड़ी है, अब सिर्फ अपराध है। अत: आस्था के नाम पर अधिक दिन तक पाप और अधर्म को बचाया नहीं जा सकता।

भारतीय पुलिस...

(पृष्ठ दो का शेष)

पुलिस थानों में टेढ़े मेढ़े रास्ते के साथ लंबा चौड़ा मैदान होता था जिसके दरवाजे पर संतरी होता था जिससे लोगों में भय और दूरी बनी रहे। संगठन के भीतर इस प्रकार की संस्कृति विकसित की जाती थी कि प्रजाजन शासक की ओर आँख उठाकर भी नहीं देख सकें। पुलिस के निम्नतम स्तर पर, यद्यपि वे निरक्षर होते थे व नाममात्र का वेतन दिया जाता था, भी इतनी अधिक शक्तियां दी जाती थी कि वे किसी को भी गिरफ्तार कर 24 घंटे के लिए निरुद्ध कर सकते थे। (गुप्ता 1979) यह 24 घंटे का समय इसलिए अनुमत किया जाता था कि इस अवधि में पुलिस झूठी कहानी तैयार कर सके और झूठे गवाह व बरामदगी का इंतजाम कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सके। इस सब का सार मात्र सम्पूर्ण जनता में शासन का भय उत्पन्न करना था और पुलिस विभाग ने इसे बखूबी अंजाम दिया। इस संगठनात्मक संस्कृति, प्रशासन शैली और सौद्देश्यपूर्ण जनता से विलगाव इन सब कारणों से पुलिस में भ्रष्ट परम्पराएं पनपी। पुलिस थाने के प्रभारी पर बारबार और भ्रष्टाचार के लम्बे चौड़े आरोपण के बावजूद (अर्नाल्ड, 1986) इस व्यवस्था में सुधार के लिए ब्रिटिश शासन ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किये। (गुप्ता,1979)

इस प्रकार जनता से बिना किसी विरोध के मुफ्त में भोजन, पेय, रसद, मनोरन्जन, परिवहन और विशेष सम्मान जबरन प्राप्त किया जा सकता था। यद्यपि आज शेर का शिकार प्रतिबंधित हो गया है किन्तु ब्रिटिश राज बदस्तूर जारी है। वह व्यवस्था जो 1861 में ब्रिटिश राज द्वारा थोपी गयी थी बिना किसी मौलिक सुधार के जारी है। अपराध को परिभाषित करने वाली भारतीय दंड संहिता, जिसका निर्माण 1857 की क्रांति की परिस्थितियों के मद्दे नजर किया गया था, साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता ब्रिटिश राज से उसी रूप में आज भी लागू हैं। स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के बावजूद पुलिसिया बर्ताव में कोई परिवर्तन नहीं आया है। पुलिस नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करती है और भयभीत करती है मानों कि ब्रिटिश राज अभी भी जारी हो। पुलिस नेतृत्व की उच्चता, विभाग का राजनीतिकरण, लोगों के प्रति गैर जिम्मेदारी और प्रबन्धन के पुराने तरीकों ने मिलकर भ्रष्टाचार को महामारी का रूप दे दिया है और अब यह विभाग में सर्व मान्य - सर्व स्वीकार्य है। इससे यह संकेत मिलता है कि समस्त सरकारी मशीनरी बीमारू हो चुकी है। इस स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। इस आलेख में अरविन्द वर्मा पूर्व आईपीएस के अनुसन्धान कार्य का सहारा लिया गया है।

देश के न्यायालयों का आचरण देखने पर भी यही विश्वास होता है कि वे भी इसी व्यवस्था को सुगम,सुविधाजनक और अनुकूल पाते हैं। रामलीला मैदान में रावणलीला खेले जाने, तरनतारन में पुलिस द्वारा सरे आम पिटाई किये जाने, बिहार में पुलिस द्वारा अध्यापकों पर डंडे बरसाए जाने, सोनी सोरी को नग्न कर उसके गुप्तांगों में कंकड़ भरे जाने व बिजली के झटके देने के मामलों में भी जब देश का उच्चतम न्यायालय किसी दोषी पुलिस अधिकारी को कोई दंड नहीं दे तो विश्वास नहीं होता कि देश में कोई न्यायालय है, कानून का राज है अथवा मानवाधिकार भी कोई सार्थक चर्चा का विषय हो सकता है बल्कि यह विश्वास और पुख्ता होता है कि शासकों की मात्र चमड़ी का रंग बदलने के अतिरिक्त गत 70 वर्षों में कुछ भी नहीं बदला है। एक ओर जहां पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा नक्षत्रसिंह आदि को हत्या के झूठे मामले में फंसाने के मामले में 1 करोड़ रूपये मुआवजा देने के आदेश का देश का उच्चतम न्यायालय समर्थन व पुष्टि करता है तो दूसरी और अक्षरधाम मामले में अभियुक्तों को झूठा फंसाये जाने पर रिहा करने के आदेश देता है किन्तु मुआवजा देने से यह कहते हुए मना करता है कि इससे अनुचित परम्परा पड़ेगी या पुलिस का मनोबल गिरेगा तो इन न्यायाधीशों की निष्पक्षता या मानसिक रूप से स्वस्थ होने पर संदेह होना स्वाभाविक है। जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति के मामले में आधी रात या छुट्टी के दिन न्यायालय खोले जाते हैं तो लगता नहीं कि बिना धनबल के न्याय मिल सकता है। ताज्जुब का विषय है कि जो पुलिस एक व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाकर उसका जीवन बर्बाद कर देती है उसका भी कोई मनोबल माना जाता है। अब समय आ गया है जबकि प्रत्येक भारतीय को इस कुप्रबंधन के विरोध में अपना स्वर उठाना होगा अन्यथा इस लोकतंत्र की लुटिया गहरे सागर में डूब जायगी जिसके लिए हम सभी जिम्मेदार होंगे।

मनीराम शर्मा

गुड़िया कांड में पूर्व आईजी समेत 8 पुलिसकर्मी गिरफ्तार

शिमला। कोटखाई में 10वीं की छात्रा गुड़िया से सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड में धरे गए एक आरोपी सूरज की हवालात में मौत के मामले में सीबीआई ने पूर्व आईजीपी (साउथ रेंज, ठियोग) जहूर जैदी, डीएसपी मनोज जोशी के अलावा 6 अन्य पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है।

6 जुलाई को शिमला के कोटखाई गांव हलेला के जंगलात में गुड़िया की लाश मिली थी। मेडिकल जांच में उसके साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की पुष्टि हो गई थी। इस मामले में गिरफ्तार एक अभियुक्त सूरज की हवालात में मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया था कि उसकी हत्या में पुलिस का हाथ हो सकता है। बहरहाल गिरफ्तार आठों पुलिसकर्मी उसी एसआइटी के सदस्य हैं, जिसे इस कांड पर हुए जबरदस्त विरोध के बाद जांच के लिए गठित किया था। जब जैदी की अगुवाई में गठित एसआईटी ने 13 जुलाई को सूरज सिंह समेत 6 आरोपियों की धरपकड़ की थी। पर उसके 5 दिन बाद ही नेपाल वासी सूरज की 18 जुलाई को कोटखाई थाने की हवालात में हत्या कर दी गई थी। प्रदेश पुलिस ने दावा किया था कि सूरज को कथित रूप से रजिंदर सिंह उर्फ राजू ने ही मारा था, जो गुड़िया कांड में मुख्य आरोपी है।

यहां इन पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए सीबीआई के सूत्रों ने बताय कि यह कार्रवाई हवालात में सूरज की हत्य मामले में हुई है। इस मामले में 19 जुलाई, 2017 को थाना कोटखाइ में आईपीसी की धारा 302 के तहत अलहदा एफआईआर (नम्बर 101/2017) दर्ज की गई थी। धरे गये पुलिसकर्मियों में कोटखाई के थाना प्रभारी रजिंदर सिंह, एएसआई दीप चंद शर्मा भी हैं, जो जांच अधिकारी थे। पुलिस कांस्टेबल मोहन लाल, सूरत सिंह, रफीक अली और रणजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है।

जब प्रदेश सरकार ने यह मामला सीबीआई को हस्तांतरित किया था तो जैदी को आइजीपी पद से हटाकर शिमला के एसपी डीब्ल्यू नेगी के साथ पुलिस मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया था। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर गठित एसआईटी के प्रमुख डीआईजी रेंक के एक अधिकारी की अगुवाई में सीबीआई ने संदिग्ध आरोपी सूरज सिंह की कोटखाई थाने के हवालात में हत्या मामले में साजिश का खुलासा किया था।

सूरज के शव की जांच सीबीआइ और एम्स दिल्ली से आए फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने नए सिरे से की थी। यह पहले की गई फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेल नहीं खाती थी। सूरज की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ के हाथों फूंके गए थाना की जांच की गई थी और रात में वहां तैनात संतरी दिनेश का भी बयान लिया गया था। सूरज सिंह की पत्नी ममता, जो फिलहाल शिमला के समीप ही मशोवरा स्थित नारी निकेतन में रह रही है, ने रजिंदर उफ राजू को पाक-साफ करार दिया और कहा कि वह तो उसके पति सूरज को भाई की तरह मानता था और वह उसकी हत्या नहीं कर सकता। ममता ने पुलिस को ही सूरज की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

जांच रिपोर्ट में पता चला है कि सूरज सिंह को पूछताछ के दौरान मारा गया या उसकी मौत हुई, पर दिखाया यह गया कि उसकी जान हवालात में राजू के साथ हाथापाई में गई थी।

बीती 13 जुलाई को गुड़िया कांड में धरे गए 6 आरोपियों में आशीष चौहान (29), रजिंदर सिंह उर्फ राजू (32), सुभाष सिंह बिष्ट (42), दीपक (38), सूरज सिंह (29) और लोक जन (19) थे। गुड़िया कांड में एफआइआर कोटखाई थाने में आइपीसी की धारा 302, 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दर्ज की गई थी। इसमें सीबीआई जांच के आदेश दरअसल उस जनहित याचिका पर ही प्रदेश हाई कोर्ट के विशेष खंडपीठ ने दिए थे, जिसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करील और न्यायमूर्ति संदीप शर्मा शामिल थे।

निजता को...

(पृष्ठ एक का शेष)

सुरक्षा प्रदान करती है और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करने की व्यक्ति की क्षमता को स्वीकार करती है। हालांकि संविधान के अंतर्गत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने के पांच अन्य न्यायाधीशों के फैसले से सहमति व्यक्त करते हुए इन चार न्यायाधीशों ने कहा कि अन्य मौलिक अधिकारों की तरह ही निजता का अधिकार संपूर्ण अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़ ने निजता के सवाल पर 1976 में अपने पिता न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए बहुचर्चित एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला प्रकरण के फैसले को उलट दिया है। यह फैसला सुनाए जाते वक्त न्यायाधीश डिजिटल युग में निजता के परिणाम और खतरों के प्रति सजग थे और उन्होंने सरकार से कहा कि इन आंकड़ों की सुरक्षा के पहलू पर विचार करके इन आंकड़ों की सुरक्षा के लिए ठोस व्यवस्था की जाए क्योंकि इनको सिर्फ शासन से ही नहीं बल्कि शासन से इतर तत्वों से भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। न्यायमूर्तियों ने कहा कि हम केन्द्र सरकार को निर्देश देते हैं कि आंकड़ों की सुरक्षा के लिए ठोस व्यवस्था के सृजन के लिए वैयक्तिक हितों और सरकार के न्यायोचित सरोकारों के बीच सावधानी पूर्वक और संवेदनशील तरीके से संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 537 पेज के फैसलों में से 266 पेज के अपने निर्णय में कहा- सरकार के न्यायोचित उद्देश्यों के उदाहरण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना, आविष्कार को प्रोत्साहन देना व ज्ञान का प्रसार करना और समाज कल्याण के लाभों को अपव्यय से बचाना आदि शामिल हैं। ये नीति के विषय हैं जिन पर सरकार आंकड़ों के संरक्षण की सावधानीपूर्वक संरचना तैयार करते समय विचार करेगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि निजता के सांविधानिक अधिकार की मौजूदगी को मान्यता देना संविधान में संशोधन करने सरीखी कवायद नहीं है और न ही न्यायालय संवैधानिक कामकाज कर रहा है जो कि संसद के पास है।

14 साल की सजा के बाद दायर किया जा सकता है स्थायी पैरोल आवेदन

जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने व्यवस्था देते हुए कहा है कि आजीवन कारावास का कैदी 14 साल की सजा भुगतने के बाद स्थाई पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है, भले ही उसने पूर्व में तीन बार पैरोल का लाभ लिया हो या नहीं। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग, न्यायाधीश वी.के. व्यास और न्यायाधीश एस.पी. शर्मा की वृहदपीठ ने यह आदेश प्रेमदेवी की ओर से दायर याचिका में उठे विधिक बिन्दु तय करते हुए दिए। मामले के अनुसार हाईकोर्ट की एकलपीठ में यह विधिक बिन्दु उठाते हुए मामले को वृहदपीठ में भेज दिया था कि क्या आजीवन कारावास का कैदी 14 साल की सजा पूरी होने के बाद पहली बार में ही स्थाई पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है या नहीं?

कैदी को नहीं होती पैरोल नियमों की जानकारी : वृहदपीठ में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनूप ढंड ने अदालत को बताया कि चौथाई सजा पूरी होने पर कैदी को पहले पैरोल के तहत बीस दिन के लिए रिहा किया जाता है। इसके एक साल बाद तीस दिन के लिए और उसके एक साल बाद चालीस दिन के लिए पैरोल का लाभ दिया जाता है, लेकिन कई बार कैदीको पैरोल नियमों की जानकारी नहीं होती। ऐसे में वह 14 साल की सजा भुगतने तक पैरोल के लिए आवेदन नहीं कर पाता।

इसलिए उसे स्थाई पैरोल के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राजस्थान प्रिजनर्स पैरोल नियम, 1958 के नियम 9 के तहत तीन बार पैरोल लेने के बाद ही स्थाई पैरोल का लाभ दिया जा सकता है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने तय किया 14 साल की सजा भुगतने के बाद पहली बार में ही स्थाई पैरोल के लिए आवेदन किया जा सकता है।

काले धन पर एक-एक जानकारी साझा करेंगे भारत-स्विट्जरलैंड

नई दिल्ली। भारत और स्विटजरलैंड कालेधन को लेकर एक-एक जानकारी स्वत: साझा करने की प्रक्रिया तैयार कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच घोषणापत्र पर वहां की संसद ने मुहर लगा दी है। 2019 से आंतरिक जानकारी स्वत: (ऑटोमेटिक) साझा किए जाने की प्रक्रिश शुरू हो जाएगी। भारत के दौरे पर आई स्विस राष्ट्रपति डोरिस लिउथार्ड ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को लेकर शिखर वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कालाधन, हवाला, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी में धन के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए भारत और स्विट्जरलैंड आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। कर से जुड़ी जानकारी के स्वत: आदान-प्रदान पर घोषणापत्र के लागू होने पर आंतरिक प्रक्रिया की सूचनाएं स्वत: ही साझा की जा सकेंगी।

दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की। साथ ही, कर चोरी और कालेधन पर अंकुश लगाने को लेकर द्विपीक्षकय सहयोग को और बढ़ाने के तौर-तरीकों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग समेत दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने माना कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कर चोरी और कालेधन के खिलाफ संघर्ष में सहयोग बढ़ा है। लिउथार्ड ने उम्मीद जाहिर की कि स्विट्जरलैंड की संसद इस वर्ष के अंत तक सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान पर कानून को मंजूरी प्रदान कर देगी।

मोदी ने लिउथार्ड के साथ साझा संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भौगोलिक प्रसार और निरस्त्रीकरण जैसे विषय भारत और स्विट्जरलैंड दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण हैं। भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) की सदस्यता के संदर्भ में स्विट्जरलैंड का समर्थन मिला है। मोदी ने इसके लिए डोरिस लिउथार्ड का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हमने भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच कारोबार व आर्थिक गठजोड़ समझौते पर भी चर्चा की। इस समझौते के प्रावधानों पर बातचीत पहले ही शुरू की जा चुकी है। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है।

बैठक के बाद मोदी ने कहा कि दोनों ही पक्षों ने इस समझौते को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आज दुनिया के सामने वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता का मुद्दा चुनौती बना हुआ है। चाहे वह काला धन हो, डर्टी मनी हो, हवाला हो या हथियारों और ड्रग्स से संबंधित धन हो। इस वैश्विक अभिशाप से निपटने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ हमारा सहयोग जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल हमने टेक्स से जुड़ी जानकारी के स्वत: आदान-प्रदान के लिए एक संयुक्त घोषणापत्र पर दस्तखत किए थे। इसके अंतर्गत स्विट्जरलैंड में आंतरिक प्रक्रिया पूरी होने पर सूचना हमारे साथ अपने आप (ओटोमैटिक) साझा हो जाएगी।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को दोनों देशों के आर्थिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार बताते हुए मोदी ने कहा कि भारत इस संदर्भ में स्विट्जरलैंड के निवेशकों को विशेष रूप से स्वागत करता है। इस संदर्भ में, हम एक नई द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत जारी रखने की जरूरत पर सहमत हुए हैं। भारत की वृद्धि और विकास में सहभागी बनने के लिए स्विट्जरलैंड की कंपनियों के पास अनेक अवसर हैं। स्विस राष्ट्रपति के साथ आए स्विट्जरलैंड के शिष्टमंडल का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया कि भारत स्विट्जरलैंड मित्रता संधि के सात दशक पूरे हुए हैं।

खरी-खरी

राजनैतिक आजादी के सामने बढ़ता संकट : हल नजर नहीं आता

डॉ. मानचन्द खण्डेला 9462817770
E mail :
manchandkhandela.@gmail.com

आजादी के सत्तर साल बाद तो यह विषय गंभीर विश्लेषण का होना चाहिए कि इसके प्राप्ति के उद्देश्य किस सीमा तक पूरे हुए, उसमें क्या परेशानियां हुई तथा उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है। ऐसा यदि वस्तुनिष्ठ रूप से नहीं किया गया तो हमारी राजनैतिक आजादी भी खतरे में पड़ सकती है। देश के अधिकांश हिस्सों में फैल रहे नक्सलवाद, कानून को हाथ में लेने की बढ़ती प्रवृत्ति मतदाता की लगातार व खुलेआम हो रही उपेक्षा, राजनैतिक दलों के घनघोर अमर्यादित व्यवहार, सत्ता के लिये सभी मर्यादाओं एवं परम्पराओं का मान मर्दन, सम्पूर्ण देश में केवल तेजी से हो रही गिरावट, न्यायालयों में न्याय मिलने की लगातार कम होती संभावनाएं, निधि औद्योगिक घरानों की सरकारें चलाने की कम बढ़ती हैसियत, सरकारों की आर्थिक विकास को सापेक्ष समझने की नासमझी याने कि शासन एवं प्रशासन की बेबसी, जन प्रतिनिधियों की जनता से तेजी से बढ़ती दूरी, व्यक्ति आधारित राजनीति के बढ़ते महत्व, राजनीति के एक प्रकार से कम खर्च करने की बढ़ती मनोवृत्ति, आरोपितों पर चल रहे मुकदमों को वापस लेने की सरकारों की बेशर्मपूर्ण स्थिति, पारदर्शिता पर लगते जा रहे ग्रहण, युवा जनसंख्या के अल्पतम उपयोग, राजनैतिक दलों के संगठन में प्रायः शून्य हो चुके लोकतंत्र, सांसदों एवं विधायकों की पार्टी हाई कमाण्ड के सामने बंधक जैसी स्थिति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बढ़ते अंकुश, निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था को पंगु बनाने के बढ़ते हथकंडों से तो ऐसा ही लगता है विडम्बना तो यह है कि सारे एकाधिकारवादी, सामंती, जनविरोधी काम सरकारों व दलों के द्वारा लोकतंत्र के नाम पर ही किये जा रहे हैं और इससे बड़ी विडम्बना तो यह है कि जनता मालिक होते हुए भी नौकर की तरह व्यवहार करती है। तब ही तो आजादी प्राप्ति के किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाने की या आज भी रोटी, कपड़ा, मकान, सामान्य चिकित्सा, सुरक्षा के लिए तरस रही है। जिसे स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में देखा जा सकता है।

15 अगस्त,1947 को भारत को जब राजनैतिक आजादी मिली तो इसे केवल साधन माना गया देश को शोषण, उत्पीड़न, असमानता, दरिद्रता, दासता, एकाधिकार, सामंतशाही आदि से मुक्ति का। इसी के अनुरूप 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। जिसमें प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पूर्ण शराबबंदी करने, चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने, प्रत्येक व्यक्ति हेतु सम्मानजनक जीवन यापन की परिस्थितियां पैदा करने, देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने, कृषि पर आयकर नहीं लगा कर विकास का पूरा अवसर देने, लिंग भेद को समाप्त करने, अनुसूचित जाति एवं जन जाति वर्ग को विशेष संरक्षण देने तथा कराधारोपण हेतु केन्द्रीय, राज्य एवं संवर्ति सूचि बनाने जैसे प्रावधान बनाये गये। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर यह विषय चिन्तन एवं विश्लेषण का होना ही चाहिए कि सात दशकों के बाद भी हम क्या इनकी पूर्ति कर सके हैं? इस संबंध में आजादी के इस पर्व पर विश्लेषण स्वतंत्र हो यह समय की मांग है।

संविधान के नीति निर्देशकों के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य हो। मतलब दसवीं कक्षा तक ऐसा हो। हो क्या रहा है वस्तुस्थिति यह है कि देश की मुश्किल से दो-तिहाई जनसंख्या ही मात्र साक्षर है। याने करीब चालीस करोड़ लोग तो निरक्षर ही हैं। शिक्षा को अनिवार्य तो नहीं ही किया गया है। सब पात्र लोगों को दसवीं तक शिक्षा देने की व्यवस्था स्कूलों के भवन, शिक्षक, पेयजल, निवृत्ति सुविधाओं, ब्लैक बोर्ड, पुस्तकों आदि की दृष्टि से पूर्ण नहीं है। लाखों शिक्षकों की कमी है तथा करीब एक-तिहाई स्कूल बिना नाम या नाम मात्र के भवनों में चल रही हैं। शिक्षा का अधिकार कानून पूरी तरह लागू ही नहीं हो रहा है। इस एक कारण से आर्थिक आजादी अधिकांश लोगों को मिलना तो दूर उस तरफ वांछित कदम ही नहीं उठाये गये हैं। शिक्षा के अभाव के कारण ही सूचनाहीनता, अज्ञातनता, फुहड़पन की आर्थिक समस्या बनी हुई है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यह ही है। इसी कारण से असंगठित क्षेत्र में समान कार्य के लिये असमान वेतन, अधिक राशि की रसीद और कम भुगतान, निर्धारित से अधिक समय काम, पुरुष से महिला को कम भुगतान जैसी समस्याएं बनी हैं।

आर्थिक आजादी में एक बड़ी बाधा शराबबंदी नहीं होने की है। ऐसा नहीं करने का कारण राज्य सरकारों को प्रति वर्ष लाखों करोड़ रुपयों की आय होने का है। जबकि शराब की लत जो गरीब वर्ग में ज्यादा है प्रति वर्ष देश को अरबों श्रम दिवसों का नुकसान उठाना पड़ता है। सरकारों का इस आय से विकास कार्य करवाने का तर्क भी थोथा है क्योंकि सरकारों को वितरण केन्द्र बनाने, कानून व्यवस्था बनाये रखने, बीमार लोगों को उपचार करवाने, संग्रहण व्यवस्था बनाये रखने, शराब की दुकानें बंद करवाने के आंदोलनों से निबटने, शराब दुष्प्रन्तिकाओं पर मुआवजा देने, लाइसेंस की व्यवस्था करने आदि पर ही प्राप्त रकम का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। साथ ही संविधानिक प्रावधानों के अनुसार शराबबंदी हो जाये तो राजस्थान में ही लाखों कर्मशील बाजार में आ जायें, परिवारजनों का खान-पान में सुधार होने से शारीरिक व्याधियां न्यून और बीमारियों से दूरी ज्यादा हो सकती है। शराबियों के घरों में झगड़े नहीं होने से अच्छे वातावरण में परिवार विकास की सोच सकते हैं।

संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द लिखा है। जिसका सीधा सा अर्थ होता है आर्थिक गतिविधियों पर सरकार के माध्यम से समाज का अधिकार होना। तब ही सरकारें अधिकतम आर्थिक समानता तथा अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। जबकि वर्तमान में तो सारी आर्थिक नीतियां इसके विपरीत चल रही हैं। सरकारें सरकारी सम्पत्तियों को बेच रही है, दीर्घ अवधि के लिये लीज पर उठा रही है, पीपीपी मॉडल को अपना रही है। स्वदेशी के स्थान पर विदेशी पूंजी को प्रोत्साहित कर रही हैं, छोटी औद्योगिक इकाइयों को समाप्त व बड़ी को संरक्षित कर रही हैं। स्वदेशीकरण को त्याग कर विदेशी उत्पादों को बाजार में बढ़ावा या जा रहा है, विकेन्द्रीकरण के स्थान पर आर्थिक ताकत का केन्द्रीयकरण हो रहा है। हालात तो यहां तक बिगड़ गये हैं कि देश के सात सबसे धनी लोगों के पास 90 करोड़ गरीबतम लोगों के बराबर सम्पत्ति है, सरकारें ऐसे धनिकों पर ही निर्भर हो गई है। यह तथ्य इस बात से समझा जा सकता है कि व्यापारिक बैंकों का जो दस लाख करोड़ रुपयों का एनपीए याने बट्टा खाता राशि है उसका करीब एक-तिहाई भाग तो 35 उद्योगपतियों के ही नाम है। जिनके नाम तक सरकार सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद भी सार्वजनिक नहीं कर रही है जबकि किसानों के ऋण की राशि मुश्किल से 1.80 लाख करोड़ रुपयों की है। जिससे लाखों किसान संबंधित हैं। उसकी माफी के बारे में सरकारों को निर्णय लेने में बड़ी परेशानी हो रही है। जबकि कुल एनपीए का यह भाग एक प्रतिशत ही है। अब तो संविधानिक प्रावधानों के बावजूद कृषि आय पर आयकर लगाने की बातें होने लगी हैं। जबकि वर्ष 2010 से 2016 के वर्षों में कुछ हजार धनिकों ने याने कृषि आय खरबों रुपयों की बताई जिस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

कर निर्धारण अधिकार संबंधी सभी तीनों सूचियां जीएसटी के बाद अप्रासंगिक हो गई है। जबकि यह विभाजन एक तरह से संविधान का मूल ढांचा है। इसके बाद तो राज्य एवं स्थानीय सरकारों के अर्थ एकत्रिकरण के अधिकार तो समाप्त प्रायः ही हो गये हैं। केन्द्र पर राज्य सरकारें अर्द्ध एवं राज्य सरकारों पर स्थानीय सरकारें पूरी तरह निर्भर हो गई हैं। पंचायतीराज का पूरा ढांचा ही ढह गया है। अब सत्ता के विकेन्द्रीकरण की सभी सम्भावनाएं समाप्त हो गई हैं। आर्थिक आधार पर तो अब देश में संघीय के स्थान पर एकात्म शासन व्यवस्था हो गई है। इससे आर्थिक के साथ ही केन्द्र के पास बाकी क्षेत्रों के अधिकार भी केन्द्रित हो गये हैं। एक उदाहरण के लिए जीएसटी लागू होने के बाद कपड़ा व्यापारियों ने लम्बे समय तक रेट को घटाने की मांग को लेकर बड़ी हड़ताल की। अन्त में सरकार ने उसे कुछ घटाने का निर्णय लिया। इस प्रक्रिया में सभी राज्य सरकारें एवं राजनैतिक दल पूरी तरह अप्रासंगिक हो गये। यह हमारे संसदीय ढांचे की व्यवस्था के बिलकुल विपरीत है। ऐसे में आमजन की आर्थिक आजादी की अब कल्पना नहीं की जा सकती है।

यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जब तक संविधान की आत्मा के साथ समझौता किया जायेगा, देश में आर्थिक आजादी की परिस्थितियां नहीं बन सकती हैं। इसके लिये तो ग्रामीण उद्योगों, कृषि, परम्परागत कौशल, स्वदेशी बचत एवं पूंजी, सर्व के लिए उत्पादन, आर्थिक सामाजिक बल्कि राजनैतिक लें, अवसरों की समानता, विकास का यथासंभव समान वितरण, एक व्यक्ति की अधिकतम सम्पत्ति की सीमा, अति आवश्यकताओं की प्रत्येक हेतु आपूर्ति हो जाने तक विलासितापूर्ण वस्तुओं के उत्पादन पर शिथिलता, ऋण देने में बैंकों द्वारा लाभदायिकता के स्थान पर सुरक्षा को वरीयता, समूह निर्णय व्यवस्था, असमानता के खात्मे, जवाबदेही व्यवस्था में कठोरता जैसी नीतियों को अपनाना व सख्ती से लागू करना जरूरी है। नहीं तो राजनैतिक आजादी पर भी संकट कालांतर में आ सकता है। इसलिये सबसे बड़ी व त्वरित जरूरत से देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान में वर्णित गौरवपूर्ण जीवन जीने की परिस्थितियां देने की बात अभी बहुत दूर की है उसे जिंदा रहने लायक जरूरी चीजें तो निरंतर उपलब्ध करवाई जाती रहे, सामान्य सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाये। जान और माल की, प्रछन्न रोजगार ही सही पर दिया जाये, जिससे भूखा व्यक्ति कुछ भी गुनाह कर सकता है की कहावत को चरितार्थ होने से बचाये रखा जा सके। क्योंकि मानव की सहनशक्ति को असीमित मानना भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है।

बोफोर्स घोटाले में 12 साल पुरानी अपील पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील 64 करोड़ रुपए के बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड एक बार फिर उस समय चर्चा में आ गया जब सुप्रीम कोर्ट यूरोप में रहने वाले उद्योगपति हिन्दुजा बंधुओं के खिलाफ इस मामले में आरोप निरस्तकरने के दिल्ली हाई कोर्ट के 2005 के फैसले को चुनौती देने वाली भाजपा नेता अजय अग्रवाल की अपील पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया।

हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आर.एस. सोढ़ी (अब सेवानिवृत्त) ने 31 मई, 2005 को हिन्दुजा बंधुओं श्रीचंद, गोपीचंद व प्रकाशचंद और बोफोर्स कंपनी के खिलाफ सारे आरोप रद्द करने के साथ ही इस मामले की जांच के तरीके के लिए सीबीआई पर आक्षेप करते हुए कहा था कि इसकी वजह से करीब सरकारी खजाने को 250 करोड़ रुपए की कीमत चुकानी पड़ी।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चन्द्रचूड़ के तीन सदस्यीय खंडपीठ ने 12 साल पुरानी इस अपील पर शीघ्र सुनवाई के लिए अंतरिम अर्जी का संज्ञान लेते हुए कहा कि इस मामले को 30 अक्टूबर से शुरू हो रहे सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाए।

शीर्ष अदालत ने 90 दिन के भीतर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में सीबीआइ की नाकामी के बाद 18 अक्टूबर, 2005 को अधिवक्ता अजय अग्रवाल की अपील विचारार्थ स्वीकार कर ली थी।

न्यायालय का इस अपील पर शीघ्र सुनवाई की इजाजत देने का निर्देश महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वीडन के मुख्य जांचकर्ता स्टेन लिंडस्ट्राम द्वारा उच्च स्तर पर कथित रिश्वत के बारे में संकेत को लेकर मीडिया में खबरें आने के बाद भाजपा सांसदों ने संसद में बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड फिर से खोलने की मांग की थी।

उत्तर प्रदेश के रायबरेली संसदीय क्षेत्र कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ भाजपा के टिकट पर 2014 का चुनाव लड़ने वाले अजय अग्रवाल ने कहा था कि वे शीर्ष अदालत का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे कि उन्होंने दलाली की रकम का पता लगाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखकर विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून, 2002 के तहत जांच करने का अनुरोध किया था।

प्रवर्तन निदेशालय को 28 जुलाई को लिखे पत्र में अग्रवाल ने दाव किया था कि कथित अपराध 2006 तक लगातार हुआ है जब इटली के कारोबारी ओत्तावियो क्वात्रोची के लंदन में दो बैंक खातों पर लगी रोक हटाई गई। क्वात्रोची इस सौदे में एक बिचौलिया होने की वजह से आरोपी था।

भाजपा नेता ने कहा था कि ये सीबीआई को भी एक चिट्ठी लिखकर इन तथ्यों व मामले की जांच की स्थिति के बारे में हलफनामा दाखिल करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि 1 दिसम्बर, 2016 को संक्षिप्त सुनवाई के दौरान जांच ब्यूरो ने शीर्ष अदालत से कहा था कि प्राधिकारियों ने उसे हाई कोर्ट के फैसले 31 मई, 2005 के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति नहीं दी थी।

न्यायमूर्ति सोढ़ी ने 2005 के फैसले से पहले हाई कोर्ट के ही एक अन्य न्यायाधीश जे.डी. कपूर (अब सेवानिवृत्त) ने चार फरवरी, 2004 को इस मामले से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मुक्त करते हुए बोफोर्स कंपनी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 465 के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया था।

यह मामला अंतिम बार इस साल 28 फरवरी को सूचीबद्ध हुआ था लेकिन यह स्थगित हो गया था। भारत और स्वीडिश हथियार निर्माता कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 155 एमएम की 400 तोपों की आपूर्ति के लिए 24 मार्च, 1986 को 1437 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था। लेकिन 16 अप्रैल, 1987 को स्वीडिश रेडियो ने दावा किया था कि कंपनी ने भारत के प्रमुख नेताओं और रक्षा अधिकारियों को रिश्वत दी थी।

सीबीआई ने इस मामले में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, हेराफेरी के कथित अपराध में भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण कानून के प्रावधानों के तहत 22 जनवरी, 1990 को एबी बोफोर्स के तत्कालीन अध्यक्ष मार्टिन पिंटो, कथित बिचौलिए विन चड्ढा और हिन्दुजा बंधुओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

कीर्ति चिदम्बरम से सीबीआई ने नौ घंटे तक की पूछताछ

नई दिल्ली। विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआइपीबी)से विदेशी निवेश को हरी झंडी दिलाने में घोटाले के आरोप की जांच से बचने की कीर्ति चिदम्बरम की कोशिशें नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कीर्ति चिदम्बरम पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए। लगभग नौ घंटे तक चली सघन पूछताछ में कीर्ति से 100 से अधिक सवाल पूछे गये। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई को देखते हुए सीबीआइ विस्तृत जानकारी देने से बच रही है।

सीबीआइ ने मई में आइएनएक्स मीडिया को एफआइबीपी की जांच से बचाने के एवज में रिश्वत लेने के आरोप में कीर्ति चिदम्बरम के ठिकानों पर छापा मारा था। सीबीआइ ने एफआइआर में आरोप लगाया है कि तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम का बेटा होने का लाभ उठाते हुए कीर्ति चिदम्बरम ने आइएनएक्स को एफआइपीबी की जांच में क्लीन चिट दिला दी थी।

सीबीआइ की जांच से बचने के लिए कीर्ति चिदम्बरम ने हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज खटखटाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि वे सीबीआइ की जांच से बच नहीं सकते हैं। उन्हें जांच अधिकारियों के सवालों का जवाब देना होगा। इसके बाद कीर्ति चिदम्बरम ने आइएनएक्स मीडिया को एफआइपीबी से क्लीन चिट मिलने और इसके लिए फीस के तौर पर उनसे संबंधित कंपनी में दिए गए पैसे के बारे में 100 से अधिक सवाल पूछे गए।

सीबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे कीर्ति चिदम्बरम से हुए पूछताछ की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देंगे। इसके पहले कीर्ति चिदम्बरम से एक और पूछताछ हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी ने पूछताछ के बारे में कुछ भी बताने से यह कहते हुए इनकार किया कि कीर्ति चिदम्बरम इसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ही कीर्ति के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आरोप है कि टीवी न्यूज कंपनी खोलने के लिए आइएनएक्स को 2007 में एफआइपीबी से मात्र 4.62 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश लाने की अनुमति मिली थी। लेकिन कंपनी पिछले दरवाजे से 305 करोड़ रुपए से अधिक का विदेशी निवेश ले आई। जांच से बचने के लिए कंपनी के मालिक पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी ने कीर्ति चिदम्बरम से सम्पर्क किया। कीर्ति चिदम्बरमम ने उन्हें कार्रवाई से बचाने के लिए अपनी कंपनी चेस मैनेजमेंट सर्विसेज का सलाहकार रखने को कहा। कीर्ति चिदम्बरम की कंपनी की सलाह मानते हुए एफआइपीबी और आयकर विभाग ने जांच बंद कर दी। इसके एवज में चेस मैनेजमेंट सर्विसेज को आइएनएक्स ने 3.5 करोड़ रुपये की मोटी रकम फीस के तौर पर दी।

सिख दंगों के 199 मामले फिर से खुलेंगे

नई दिल्ली। विशेष जांच टीम (एसआइटी) की ओर से बंद किये गए 1984 के सिख विरोधी दंगों के 199 मामलों की समीक्षा अब सुप्रीम कोर्ट के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामलों की समीक्षा के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश जे.एम. पंचाल और के.एस. राधाकृष्णन की दो सदस्यीय समिति गठित कर दी।

यह समिति पांच सितम्बर से अपना काम शुरू कर देगी। समिति तीन महीने में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपते हुए बताएगी कि इन मामलों को बंद करने का एसआइटी का निर्णय सही था या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए छह दिसम्बर की तिथि तय करते हुए निर्देश दिया कि 199 मामलों का जो रिकॉर्ड कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में दाखिल किया गया था, वह समिति को भी मुहैया कराया जाएगा। बता दें कि इस बात पर पिछली सुनवाई में ही सहति बन गई थी कि एसआइटी के बंद किये 199 मामलों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से कराई जानी चाहिए। हालांकि उस समय तक नाम तय नहीं हुए थे। गत दो अगस्त को केन्द्र सरकार ने सिख दंगों के 199 मामलों की फाइल और रिकॉर्ड की फोटो कापी सीलबंद कवर में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। इससे पहले गत मार्च में सरकार ने कोर्ट के आदेश पर 1984 के दंगों की एसआइटी द्वारा की जा रही जांच की रिपोर्ट दाखिल की थी और उसमें मामलों का ब्यौरा दिया था।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य गुरुदयाल सिंह कहलों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है जिस पर यह सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने मार्च में हुई सुनवाई में कहा था कि 1984 के दंगों की जांच के लिए गठित केन्द्र सरकार की एसआइटी ने कुल 293 मामलों की जांच की और उनमें से 199 को बंद करने का फैसला किया है। उधर, सरकार की ओर से कहा गया था कि उच्च स्तरीय एसआइटी मामलों की जांच कर रही है।

199 मामलों की जांच बंद करने के बारे में कहा था कि केस 33 साल पुराने हैं। इन मामलों की जांच इसलिए बंद करनी पड़ी, क्योंकि इन मामलों का अता-पता ही नहीं चल पा रहा। जबकि याचिकाकर्ता का कहना था कि 199 मामलों को बंद करने का फैसला लेने के बारे में कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई थी।

सीबीआई ने बीकानेर जमीन घोटाले में 18 केस दर्ज किए

जयपुर। सीबीआई ने बीकानेर फायरिंग रेंज जमीन घोटाले के मामले में 18 केस दर्ज किए हैं। राज्य सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने आइपीसी की धारा 420, 461, 468 एवं 471 के तहत ये मामले दर्ज किए हैं। करीब 1400 बीघा जमीन के फर्जी, काल्पनिक दावों एवं आवंटन से संबंधित चार केसेज में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का नाम भी शामिल है।

सीबीआई के अनुसार 28 अगस्त, 2014 को गजनेर थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 103 से 115 एवं पांच सितम्बर, 2014 को दर्ज एफआईआर संख्या 124 से 126 और कोलायत थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 144 व 145 का अनुसंधान अब सीबीआई करेगी। राज्य सरकार की ओर से सभी 18 एफआईआर की जांच की सिफारिश की गई थी। यह सिफारिश 20 अगस्त को राज्य सरकार ने भेजी थी और ठीक दस दिन में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिए। यह मामले, भारतीय सेना की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज भारतीय सेना के इस्तेमाल के लिए अधिग्रहित भूमि के बदले विस्थापितों को आवंटित जमीन घोटाले से संबंधित है। जमीन वास्तविक लोगों के बजाय फर्जी दस्तावेजों एवं अफसर-कर्मचारियों एवं भू माफिया की मिलीभगत से फर्जी लोगों को आवंटित करवा ली थी। फिर इसे आगे से आगे बेचते रहे।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो शायद एक इतिहास बनेगा। भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है जहां महिलाएं हर क्षेत्र में तरक्की कर रही हैं। कहने को महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री ने इनको आगे बढ़ाने के लिए नारा दिया- 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'। फिर भी हमारे देश के चन्द लोगों की मानसिकता के कारण महिलाएं, बेटियां अभी भी पीड़ित हैं। चाहे वो मुस्लिम समाज की हों या किसी और धर्म की या हिन्दू समाज की हों।

विशेषकर मुस्लिम समाज की महिलाएं बहुत ही पीड़ित हैं। मेरे पास सैंकड़ों मुस्लिम बहनों के पत्र आते हैं। खुद भी मिलने जाती हूं। कुछ पीड़िताओं को हमने चौपाल प्रोग्राम द्वारा मदद भी दी है परन्तु यह कैसी प्रथा थी जो अपनी ही ब्याहता पत्नी से पारिवारिक रिश्ता समाप्त कर अपनी जिन्दगी से बेदखल कर उसे नरक भरी जिन्दगी जीने को मजबूर कर दे। सुनने में आया है कि कई लोगों ने तो इसे धंधा ही बना लिया था।

सुप्रीम कोर्ट के पंच परमेश्वर के इस फैसले का सम्मान करते हुए उम्मीद करती हूं कि बहुत जल्द अब संसद में हमारी मुस्लिम बहनों के स्वाभिमान के लिए कानून भी बन जाएगा और इस पर पहल के सूत्रधार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी बधाई देती हूं। उन मुस्लिम बहनों को भी नमन करती हूं जिन्होंने इसके लिए लम्बी लड़ाई लड़ी और आवाज उठाई। आज सुप्रीम कोर्ट ने तीन बार तलाक कहकर महिलाओं के लिए कुछ ऐसे नियम और कानून बन जाने चाहिए कि कोई भी महिला किसी भी रूप में तंग न हो और जो तलाक की संख्या बढ़ रही है वो भी कम हो क्योंकि मैं बुजुर्गों और बेटियों के लिए काम करती हूं। रोज आये दिन ऐसे बुजुर्गों से मिलती हूं जिनके हाथ कांप रहे होते हैं। उन्हीं पर बहुएं मारने का इल्जाम लगा देती हैं और कुछ बहुओं को दकियानूसी विचारों वाले पति और सास-ससुर भी तंग करते हैं और कई बहुएं, महिलाएं शादी कराकर अपने सास-ससुर की कड़ी मेहनत से कमाई पूंजी पर दावा ठोकती हैं। मुझे कभी भी अपनी 85 नामक सदस्या की पीड़ा नहीं भूलती जिसकी बहू ने बेटे की मृत्यु के बाद वसन्त विहार में सारी उम्र रहती विधवा सास पर दावा ठोक कर अपना हिस्सा लेने के लिए कोठी बेचने पर मजबूर कर दिया। जिस उम्र में बुजुर्ग अपना स्थान बदलना पसन्द नहीं करते उन्हें अपनी हर पुरानी वस्तु से प्यार होता है। उसकी अंतिम समय की तड़प मुझे भी बेचैन करती है। ऐसे में कानून बनने चाहिए कि बहू का उसी पर अधिकार हो जो शादी होने के बाद उसके पति की कमाई का हिस्सा हो। एक रोहिणी कोर्ट की जज ने ऐसा फैसला सुनाकर सास-ससुर को उसके घर से निकलने से बचाया था।

इसलिए मेरे कहने का अर्थ है कि मुस्लिम बहनों को आने वाले समय में सुरक्षा हो गई जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाए। हर धर्म की महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। चाहे पुरुष हो या महिला। एक-दूसरे से इसलिए नहीं सताए जाने चाहिए कि उनकी शादी हुई। उन्हें भारतीय परम्पराओं और संस्कृति के अनुसार मर्यादा में रहकर एक-दूसरे के रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। महिलाएं, बेटियां वो किसी भी उम्र की हों, सुरक्षित रहनी चाहिए। आज गुड़ियों जैसी बच्चियों से बलात्कार होते हैं, ऐसे लोगों को भी कठिन सजा मिलनी चाहिए।

आओ मिलकर इन्साफ के मन्दिर को नमन करें जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं के दर्द को समझा। अब कोई शाहबानो नहीं रोएगी। कोई इन्साफ के लिए दर-दर नहीं भटकेगा क्योंकि इन्साफ के मन्दिर ने इन्साफ कर दिया है।

श्रीमती किरण चौपड़ा

शरीयत में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जायेगी : नौमानी

देवबंद (सहारनपुर)। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक पर दिये गये फैसले को लेकर पूरे देश के साथ फतवों की नगरी कहलाने वाले देवबंद में काफी हलचल रही। कोर्ट द्वारा दिये गये फैसले पर दुनिया के दूसरे नम्बर के इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम के वी.सी. मोहतमिम मौलाना अबुल कासिम नौमानी ने कहा कि उन्हें अभी कोर्ट के फैसले की कॉपी हासिल नहीं हो पाई तथा जब तक कोर्ट के आदेश की कॉपी न मिल जाये उससे पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। मौलाना ने कहा कि तीन तलाक का मसला शरियत से जुड़ा हुआ है तथा उसमें किसी भी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह किसी इंसान का बनाया हुआ मसला नहीं है, बल्कि कुरान व हदीस से साबित है जिसको बदला नहीं जा सकता है। दारुल उलूम मोहतमिम ने कहा कि शरियत में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की आयेगी और इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी निर्णय लेगा उसमें हम उनके साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम यह चाहते हैं कि मजहब-ए-इस्लाम से जुड़े शरयी मामलों में अदालतें और सरकार हस्तक्षेप न करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि संसद को भी इस मसले पर कानून बनाने से पहले सोचना चाहिए।

हनीप्रीत सहित 5 के नाम लुकआउट नोटिस जारी

चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा की पंचकूला की सीबीआइ अदालत से भगाने की साजिश की आरोपी गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत व चार अन्य के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। इनमें से दो को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। हनीप्रीत 25 अगस्त की रात से ही भूमिगत है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के खिलाफ जब पंचकूला की सीबीआइ कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उस समय हनीप्रीत डेरा प्रमुख के साथ अदालत कक्ष में ही थी। यही नहीं, हनीप्रीत डेरा मुखी के साथ सेना के हेलीकॉप्टर में सवार होकर रोहतक तक जाने में कामयाब हो गई थी।

सीबीआइ कोर्ट की कार्रवाई से लेकर रोहतक तक हनीप्रीत के साथ किसी अति महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसा सलूक करने वाली हरियाणा पुलिस को करीब तीन दिन बाद जांच में पता चला कि हनीप्रीत ने ही डेरा प्रमुख को कोर्ट रूम से भगाने की साजिश रची थी। पुलिस को जब यह पता चला तब तक पुलिस की ही मदद से वह गायब हो चुकी थी। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि कोर्ट ने जब राम रहीम को दोषी करार दिया तो उनकी सुरक्षा में तैनात हरियाणा पुलिस के कमांडो ने हनीप्रीत के ही इशारे पर गोली चलाई और साथ ही डेरा प्रमुख को जिस गाड़ी में पश्चिमी कमान तक लेकर जाया गया उसके आगे जैमर लगाया था।

पुलिस को आशंका है कि हनीप्रीत विदेश भाग सकती है। इसके मद्देनजर पुलिस ने हनीप्रीत और हरियाणा पुलिस के दो कमांडो सहित पांच डेरा प्रेमियों के विरुद्ध लुकआउट नोटिस जारी किया। पुलिस ने जिन डेरा प्रेमियों के विरुद्ध यह नोटिस जारी किया था उसमें से सुरेन्द्र धीमान और आदित्य इंसा को तो गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि हनीप्रीत व हरियाणा पुलिस के दो अन्य कमांडो की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। हालांकि हरियाणा पुलिस ने ही हनीप्रीत को भूमिगत होने के लिए पूरा-पूरा मौका दिया। पुलिस अगर सख्ती दिखाती तो उसे पहले ही हिरासत में ले सकती थी लेकिन पंचकूला व रोहतक पुलिस ने कदम-कदम पर कोताही बरती है। हनीप्रीत बगैर किसी मंजूरी के करीब आधे घंटे तक सीबीआइ के अदालत कक्ष में रही।

यहां पुलिस को इस बात के सबूत मिल गए थे कि बाबा की सुरक्षा कर्मी और अन्य लोग हनीप्रीत के इशारे पर काम कर रहे हैं। इसके बावजूद उसे सीबीआइ अदालत से उसे गाड़ी में सवार होने का मौका दिया गया जिसमें राम रहीम को सेना की पश्चिमी कमान के मुख्यालय तक ले जाया गया। इसके बाद हनीप्रीत सेना व पुलिस के अफसरों की मौजूदगी में उस हेलीकॉप्टर में सवार हुई जिसमें राम रहीम को रोहतक ले जाया गया।

रोहतक जाने के बाद हनीप्रीत ने जेल में घुसने की कोशिश की लेकिन जेल प्रबंधन ने उसे वहां से खदेड़ दिया। इसके बाद हनीप्रीत जब 25 अगस्त की रात रोहतक की चिन्योट कॉलोनी में रुकी और वहां उसने बाकायदा डेरा प्रेमियों के साथ बैठक भी की। अगले दिन सुबह पुलिस ने उस घर के बाहर से पेट्रोल बम बरामद किए।

हनीप्रीत जिस घर में रुकी थी, वहां रहने वाले सभी लोग गायब हो गए। उसके बाद पुलिस को पता चला कि हनीप्रीत गनीपुरा में है। वहां भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। सूत्रों की मानें तो वह 26 की सुबह पुलिस को चकमा देकर सिरसा पहुंच गई थी। इसके बाद वह 27 की रात दोबारा रोहतक पहुंची।

ट्विटर खाता बंद

सोशल नेटवर्किंग साइटों ने राम रहीम के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इस मामले में पहलकदमी करते हुए सोशल साइट ट्विटर ने राम रहीम के अकाउंट को निलम्बित कर दिया है। राम रहीम ने अपने ट्विटर अकाउंट से अंतिम बार 24 अगस्त को ट्वीट किया था। इसके बाद 25 अगस्त को सीबीआइ अदालत द्वारा उसे दोषी करार दे दिया गया। अब ट्विटर ने कार्यवाही करते हुए राम रहीम के ट्वीटर अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया है।

पुलिस हिरासत में डेरा प्रेमी की मौत

पंचकूला पुलिस की हिरासत में एक डेरा प्रेमी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि डेरा प्रेमी की मौत तबीयत बिगड़ने के कारण हुई है। कैथल जिले के निवासी 71 वर्षीय कपूर सिंह को पैर में गोली लगने के बाद पीजीआइ, चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया था जहां से 30 अगस्त को उन्हें छुट्टी दे दी गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार हिरासत में बीती शाम उसकी दोबारा तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

आम आदमी पाटी विधि प्रकोष्ठ, राजस्थान

आप
आम आदमी पार्टी
राजस्थान

राजस्थान में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए
राजस्थान के अधिवक्ताओं से निवेदन है कि
AAP Legal Cell, Rajasthan से जुड़े।
निःशुल्क सदस्य बनने के लिए
अपना नाम, पता व मोबाईल नम्बर भिजवाये

सम्पर्क सूत्र

पूनमचंद भण्डारी	शंकर सोनी	इन्द्रजीत खयूरिया	सुरेश शर्मा
7737373479	8890622976	9828048907	9414788237
संयोजक	सह संयोजक	सदस्य	सदस्य

जस्टिस दीपक मिश्रा बने नए प्रधान न्यायाधीश

नई दिल्ली। याकूब मेमन और दिल्ली दुष्कर्म कांड के दोषियों को फांसी की सजा देने वाले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा भारत के नये प्रधान न्यायाधीश बन गए हैं। सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। जस्टिस मिश्रा भारत के 45वें प्रधान न्यायाधीश हैं। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं। जस्टिस मिश्रा की पीठ ने ही सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने, स्क्रीन पर तिरंगा लहराने और उस दौरान दर्शकों के खड़े रहने की अनिवार्यता का आदेश दिया था।

सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने जस्टिस मिश्रा को पद की शपथ दिलाई। जस्टिस दीपक मिश्रा का प्रधान न्यायाधीश पद पर कार्यकाल करीब 13 महीने का है। वह 2 अक्टूबर 2018 में सेवानिवृत्त होंगे। 3 अक्टूबर 1953 को ओडिशा के खुर्दा जिला के वाणपुर गांव में जन्मे जस्टिस दीपक मिश्रा 14 फरवरी 1977 को वकील के तौर पर पंजीकृत हुए थे। उन्होंने ओडिशा हाई कोर्ट और सर्विस ट्रिब्यूनल में संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी, राजस्व, सर्विस व टैक्स मामलों की वकालत की है। वह 17 जनवरी 1996 को ओडिशा हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए और 3 मार्च 1997 को उनका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में स्थानांतरण हो गया। 19 दिसम्बर 1997 को वह स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए। 23 दिसम्बर 2009 को वह पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 24 मई 2010 को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। 10 अक्टूबर 2011 में वह सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नत हुए और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने।

ओडिशा ने दिए तीन प्रधान न्यायाधीश

जस्टिस दीपक मिश्रा ओडिशा से तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें देश का प्रधान न्यायाधीश बनाया गया है। इससे पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा और जस्टिस गोपाल वल्लभ पटनायक यह गौरव हासिल कर चुके हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के भतीजे हैं।

देश का कर्ज नहीं चुका सकता : जस्टिस खेहर

नई दिल्ली। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने कहा कि मैं अपने देश, मातृभूमि का आभारी हूं, जिसने मुझे इस देश के सबसे बड़े न्यायिक पद पर सेवा का मौका दिया।

उन्होंने कहा कि जिस तरह मैं माता-पिता का कर्ज नहीं चुका सकता, वैसे ही देश का कर्ज भी नहीं चुका सकता। उन्होंने कार्यकाल में सहयोग के लिए सबका धन्यवाद देते हुए अपने विदाई समारोह में ये बात कही। अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने जस्टिस खेहर के कामकाज और निष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने साथी न्यायाधीशों को गर्मी की छुट्टी में सुनवाई के लिए सहमत नहीं किया होता तो तीन तलाक जैसा बेहतरीन फैसला नहीं आता। जस्टिस खेहर आठ महीने के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के बाद पद से सेवानिवृत्त हुए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके सम्मान में विदाई समारोह रखा था।

सुप्रीम कोर्ट लान में आयोजित विदाई समारोह में बोलते हुए जस्टिस खेहर ने कहा कि ये आप सब से बात करने का आखिरी मौका है। मैं उन सब लोगों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे जीवन में मेरी सहायता की। बचपन से लेकर न्यायिक सेवा में आने तक की जीवन यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने मेरा बेहतर स्कूल में दाखिला कराया व अच्छी शिक्षा दी। उन्होंने मुझे असफलताओं को स्वीकार करना सिखाया। लोग कहते हैं कि मेरी सफलता के पीछे मेरे पिता हैं। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश रहने के दौरान मुझे वरिष्ठ और कनिष्ठ न्यायाधीशों का सहयोग मिला। मैं उनका और सहयोगी स्टाफ का आभारी हूं जिन्होंने मुझे कभी लो फील नहीं होने दिया। उन्होंने सूचना क्रान्ति की उपलब्धियों को भी याद किया और कहा कि पेपरलेस कोर्ट सपना नहीं रह जाएगा बल्कि हकीकत हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने जस्टिस खेहर के काम और स्वभाव की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इनका दिल बहुत अच्छा है। जब दिल अच्छा होता है तो दिमाग भी अच्छा होता है और उसमें विचार भी अच्छे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.एस. सूरी और सचिव गौरव भाटिया ने भी जस्टिस खेहर के कामकाज के तरीके और यादगार फैसलों को याद किया।

पाक्षिक
न्यायिक ज्वाला

आजीवन	:	रू. 1500/-
वार्षिक शुल्क	:	रू. 100/-
मासिक	:	रू. 10/-
एक प्रति	:	रू. 5/-

न्यायिक ज्वाला
एसबी-3, ओटीएस के सामने, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
फोन : 2701029, 2710110

परामर्श मण्डल
न्यायिक ज्वाला

1.	श्री जे.पी. बंसल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
2.	श्री दामोदर मिश्रा	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
3.	श्री वी.के. अग्रवाल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
4.	श्री डॉ.पी.एन. रछोया	सेवा निवृत्त अति. महानिदेशक, राजस्थान पुलिस
5.	डा. मोहिनी शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी कॉलेज
6.	श्री रामदयाल खंडेलवाल	संस्थानिक प्रतिनिधि
7.	श्री विष्णुकांत शर्मा	एडवोकेट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीगोपाल शर्मा के लिये अम्बर ऑफसेट प्रा.लि.कार्यालय मुकुन्दगढ़ हाऊस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर से मुद्रित एवं एस.बी.-3, ओटीएस के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। फोन : 2710110, 9928440556 प्रधान संपादक श्रीगोपाल शर्मा, संपादक सुधीर शर्मा, सह सम्पादक गोविन्द मिश्र, सुरेश अग्रवाल। Website : www.nyayikjwala.org.
ई-मेल आई डी : sgs.nyayikjwala@yahoo.com, info@nyayikjwala.org. पत्र से संबंधित तमाम विवादों का निपटारा जयपुर न्यायिक क्षेत्र में ही होगा।